

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या:-1/59486/V-1/E-25212/2022
देहरादून: दिनांक: 30 अगस्त, 2022।

अधिसूचना

अपर आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून के पत्र संख्या-656/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0-34 (2020-21), दिनांक 02.08.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-28 की कार्यवाही उपरान्त आपत्तियों का निस्तारण कर धारा-32 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत गजट में विज्ञापित किये जाने हेतु निम्न परियोजना को निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:-

क्र०स०	परियोजना का विवरण	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	आवासों का विवरण
1.	मानपुर-काशीपुर PMAY (EWS) आवासीय योजना (उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्)	खसरा नं०-280, 281	1.214 हे०	512

Signed by Mayawati
Dhakriyal
Date: 30-08-2022 17:20:21
(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

संख्या:- 1/59486/V-1/E-25212/2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
5. आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं आवास विकास परिषद्, देहरादून।
6. वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे उत्तराखण्ड के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां आवास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।



(हस्ताक्षर विभाग-परिषद्)